

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

ज्ञापांक-1/स्था.01-01/2025-...../

पटना दिनांक-...../2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषय: श्री राणा सुजीत कुमार टुनटुन, बि०वि०प्र०से०, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना द्वारा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में दिनांक 17.04.2026 को करायी गयी वार्षिक स्वास्थ्य जाँच पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल राशि ₹ 2,000/- (दो हजार रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश: वित्त विभागीय पत्रांक-6761, दिनांक 02.08.2023 एवं पत्रांक-3838 दिनांक 11.05.2016 के आलोक में स्वीकृत।

2. व्यय का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या 08 के अधीन बजट शीर्ष "2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं-090-सचिवालय-0003-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग", विपत्र कोड-08 2251000900003 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति से होगा।
3. राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं श्री राणा सुजीत कुमार टुनटुन, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना के वेतन से संबंधित बैंक खाता संख्या-30675722594, IFSC- SBINC000159 में राशि का भुगतान किया जायेगा।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(महमूद आलम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक-...../2026

ज्ञापांक...../

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक-...../2026

ज्ञापांक...../

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/श्री राणा सुजीत कुमार टुनटुन, आंतरिक वित्तीय सलाहकार/लेखाशाखा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।